

LOHARDAGA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 609764260421011212

Date : 26-04-2021

प्रभावी : 1 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुश्री SIKANDAR ALAM S/O FAKRE ALAM, S/O.,
मोहल्ला NEW ROAD LOHARDAGA LOHARDAGA
LOHARDAGA, 835302
9939350668,0000000000

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0130000297000M0 वार्ड सं० 13 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रू० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	101.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	101.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		101.00



नोट:-

To be signed by the Applicant

1. कर निर्धारण की सूची, LOHARDAGA NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
5. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
6. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
7. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगी।
8. LOHARDAGA NAGAR PARISHAD द्वारा संप्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
9. अगर आपके नये होस्टिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत मसूना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.


कार्यालय अंचल अधिकारी, लोहरदगा
जमाबन्दी प्रमाण पत्र

पत्रांक ५५

दिनांक 17/6/2020

आवेदित भूमि की जॉच राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन के द्वारा किया गया जॉचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा लोहरदगा अन्तर्गत खाता नं० 305 प्लॉट नं० 490/2394 रकबा 0.05 एकड़ भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या 102/91-92 के द्वारा स्वीकृति के पश्चात पत्नी 11 के पृष्ठ संख्या 92/9 में पर श्रीमती आशा देवी पति रामाशीष प्रसाद साकिन महावीर चौक लोहरदगा के नाम से जमाबन्दी कायम है। अतः उक्त भूमि का जमाबन्दी रैयत के नाम से जमाबन्दी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।




अंचल अधिकारी
लोहरदगा (सदर)

Ramashish Prasad
25-6-2020